

29-7-19 पत्तावली-पेडाडुडि, वडुलाद फरीद उबा

आवेक अन्तर्गत धारा 212 RTA पर वडुलाद वडुलाद फरीद उबा, पत्तावली व वडुलाद फरीद उबा का आवलोकन कर मानक क्रिया / आवेक 212 RTA Act में धारा 18 और 19 को ध्यान में रखते हुए पता वही क्रिया में जिले में धारा 18 के अन्तर्गत नजर आती है, और नए आवेक धारा 36-718 और 19 को ध्यान में रखते हुए पता वही क्रिया में जिले में धारा 18 के अन्तर्गत नजर नहीं आती है, धारा व अधिनियम दोनों के अन्तर्गत नही है और धारा व अधिनियम का ही ही आवेक अन्तर्गत धारा-212 RTA Act में नही होने के कारण आवेक 212 RTA Act अन्तर्गत क्रिया जाता है पत्तावली फरीद उबा वही क्रिया में नजर नहीं आती है।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
दौतारासनाद (सीकर)